

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोने न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

05-12-2013

आवेदक श्री इनायत अली, पिता-मो० वसी, सा०-बिहारी साव लेन, पो०-बाँकीपुर, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना से प्राप्त एक गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-382/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि-05.12.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-05.12.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक विलम्ब से पहुँचे और हाजिरी नहीं दी गई। पुकार पर आवेदक उपस्थित हुए और उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे ठीकेदारी का कार्य करते हैं और उन्हें सुरक्षा हेतु एक गन की आवश्यकता है। आवेदक के पास पूर्व से शस्त्र अनुज्ञप्ति होने के संबंध में पृच्छा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास पूर्व से एक एन०पी०बोर पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्राप्त है। एक शस्त्र के रहने पर सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त शस्त्र की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में पृच्छा किए जाने पर उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-748/गो०, दिनांक-17.05.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पीरबहोर के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर मूल आवेदन के साथ संलग्न कर भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी का कार्य करते हैं। आवेदक के सहोदर भाई अली इमाम की हत्या करने हेतु की गई फायरिंग के संबंध में पीरबहोर थाना कांड सं०-196/10, दि०-9.11.10 दर्ज की गई है। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति प्राप्त है एवं आवेदक के पास पूर्व से एक पिस्टल अनुज्ञप्ति सं०-691/13 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'ग' पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :


परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश व सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उन द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिना पर भय/खतरा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल की अनुज्ञापि निर्गत की जा चुकी है तथा इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य शस्त्र की अनुज्ञापि निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री इनायत अली, पिता-मो0 वसी, सा0-बिहारी साव लेन, पो0-बाँकीपुर, थाना-पीरबहोर जिला-पटना के आवेदित एक गन अनुज्ञापि आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।


जिला दण्डाधिकारी,
पटना।